निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 142/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नन्दलाल पुत्र भौरीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नांगल तुलसीदार, पोस्ट भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। (श्रीमती मनफूली देवी, विकृतचित्त)

प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।
लाडा देवी बेवा स्व॰ श्री धोकल
गोकुल पुत्र स्व॰ श्री धोकल
देवाराम पुत्र स्व॰ श्री धोकल
शंकर पुत्र स्व॰ श्री धोकल
समस्त जाति गुर्जर, निवासी स्यारी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
श्रीमती संतोष पुत्री स्व॰ श्री धोकल पत्नी कैलाश गुर्जर, निवासी ग्राम निम्बी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री विनयप्रताप सिंह, जाति राजपूत, निवासी प्लाट नम्बर 141, सिन्धी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रारूपिक अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 131/2012 ब–उनवानी मनफूली देवी बनाम धोकल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री रामप्रसाद कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हेमराज भदाला अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 10.07.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 131/2012 ब–उनवानी मनफूली देवी बनाम धोकल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज भदाला उपस्थित हुये ।

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की माता श्रीमती मनफूली देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत पेश किया गया था। दौराने वाद प्रतिवादी की तामील होने के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया और उक्त जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की गयी तथा

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी/वादीया श्रीमती मनफूली देवी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र दिये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा मिलीभगत कर अवैध रूप से मनफूली देवी के विकृतचित्त की अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद को राजीनामा किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी मनफूली देवी का पुत्र है और जब उक्त कृत्य की जानकारी हुई तो प्रार्थी ने अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी माता के विकृतचित्त होने के प्रमाण पत्र व सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर की रिपोर्टस पेश की है और उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा एडमिसेबल नहीं है। अतः न्यायालय वादी अधिवक्ता को वादीया का कोर्ट गार्जियन नियुक्त करवाने हेत आदेश पारित किया जिसकी पालना में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोर्ट गार्जीयन का आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि दिनांक 08.02.2023 को प्रस्तुत आवेदन राजीनामा को तस्दीक किया जाकर राजीनामा के आधार पर वाद निस्तारण किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.05.2024 के संदर्भ में प्रार्थीया के कोर्ट गार्जियन द्वारा यह आपत्ति की गई की न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2023 को प्रस्तुत आवेदन राजीनामा को एडमिसेबल नही होने का आदेश पारित करते हुये कोर्ट गार्जियन नियुक्त किया गया है और कोर्ट गार्जियन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीया के साक्ष्य जो अग्रिम व अन्य कार्यवाही करने बाबत निवेदन किये जाने के पश्चात भी पीठासीन अधिकारी के स्वयं के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये प्रार्थी पर दबाव बनाया जा रहा है कि उक्त प्रकरण में राजीनामा कर लिया जावे। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज सुमार से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner